न्यायालय– अवर न्यायाधीश, षष्ठम्, पटना सिटी

स्वत्व वाद सं0–15 / 2022

23-06-2023 प्रस्तुत अभिलेख आज उपस्थापित किया गया, जो आज पूर्व से आदेश हेतु नियत है। वादी की ओर से समयावेदन दाखिल किया गया, परंतु वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने समयावेदन को संचालित नहीं किया गया और न ही आवेदन की कॉपी प्रतिवादी सं0–6 को दी गई है, इसलिए इन्हें पुनः मौका देना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। प्रतिवादी सं0–6 की ओर से हाजिरी दी गई। वादीगण की ओर से आवेदन दिनांक–24.01.2022 अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 एवं 2 तथा धारा 151 सी.पी.सी. दाखिल किया गया है, जिसके माध्यम से वे अभिकथन करते हैं कि वादीगण ने वादग्रस्त सम्पत्ति पर अपने अधिकार, दखल–कब्जे एवं हित तथा प्रतिवादीगण के अनधिकार की उद्घोषणा के लिए प्रस्तुत वाद लाया है, साथ–ही वादग्रस्त सम्पत्ति को संबंधित बिक्री पत्र शून्य एवं बातिल के नाम से उद्घोषणा के लिए तथा एड–अंतरिम निषेधाज्ञा के लिए भी वाद को लाया है। वादीगण, विभिन्न विक्रय–पत्रों के माध्यम से वादपत्र के अनुसूची–1 से 7 में विस्तृत रूप से वर्णित भूमि के खरीददार हैं, और वे उक्त सम्पत्ति को सम्पूर्ण स्वामी के खतियानी रैय्यत के पावर ऑफ अटर्नी के द्वारा वादग्रस्त सम्पत्ति को खरीद किए। दामोला कुंअर सर्वे प्लॉट सं0–1524 एवं 1525, खाता सं0–485, तौजी सं0–189, मौजा कुम्हरार, थाना– अगमकुंआ, जिला पटना की खतियानी रैय्यत थी और उक्त दामोला कुंअर ने उक्त भूमि को टिल्लू पासवान को विक्रय–पत्र दिनांक–24.11.1922 के माध्यम से बेच दिया, इस प्रकार टिल्लू पासवान पूर्ण एवं अनन्य स्वामी बने। अनुसूची–1 की सम्पत्ति अर्थात् वादग्रस्त सम्पत्ति को या तो शिव पासवान ने वादीगण को बेच दिया या पावर ऑफ अटर्नी धारी शिव पासवान ने कुछ वादीगण के पक्ष में विक्रय–पत्र निष्पादित किया, इस प्रकार वादीगण क्रमशः भूमि को उसके पूर्ण स्वामित्व, दखल–कब्जा तथा हित के साथ खरीदे। प्रतिवादी सं0–1 एवं 2 गलत रूप से ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने वादग्रस्त सम्पत्ति को विभिन्न व्यक्तियों से खरीदा है, उनका दावा झूठा एवं तुच्छ है। प्रतिवादी सं0–1 एवं 2 दावा करते हैं कि वे वादग्रस्त सम्पत्ति को टिल्लू पासवान के हित में उत्तराधिकारी से खरीदे हैं, परंतु उनका यह कथन झूठे कथन पर आधारित है। प्रतिवादी सं0–1 एवं 2 ने मनगढ़ंत एवं बनावटी विक्रय–पत्र के आधार पर वादग्रस्त सम्पत्ति को प्रतिवादी सं0–3 से 9 को बेच दिया है, जिसके अधिकारी प्रतिवादी सं0–1 कतई नहीं हैं। मनगढ़ंत, जाली, काल्पनिक एवं बनावटी विक्रय–पत्र के आधार पर प्रतिवादी सं0–1 एवं 2 ने वादग्रस्त सम्पत्ति को प्रतिवादी सं0–3 से 9 के हाथों में बेच दिया है, जो निष्क्रिय, शून्य एवं बातिल है तथा वादीगण पर बाध्यकारी नहीं है। प्रतिवादीगण अब वादग्रस्त सम्पत्ति पर अवैध एवं जबरन दखल–कब्जा करने की और उक्त को संभावित

खरीददार या असामाजिक तत्वों के हाथों में बेचने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार प्रतिवादीगण को एड–अंतरिम निषेधाज्ञा के माध्यम से वादग्रस्त सम्पत्ति को बेचने, हस्तांतरित करने या उसे किसी प्रकार से उलझाए रखने से रोकने की आवश्यकता है। प्रथम द्रष्टया यह वाद वादीगण के पक्ष में है और सुविधा का संतुलन भी वादीगण के पक्ष में है और यदि प्रतिवादीगण को वादग्रस्त सम्पत्ति को बेचने, हस्तांतरित करने या उसे किसी प्रकार से उलझाए रखने से नहीं रोका गया तो, वादीगण को अपूर्णणीय क्षति होगी। अतः प्रतिवादीगण को वादग्रस्त सम्पत्ति को बेचने, उसे हस्तांतरित करने तथा उसे किसी भी प्रकार से उलझाए रखने से रोकने के लिए एड–अंतरिम निषेधाज्ञा का आदेश पारित करने की कृपा की जाय।

प्रतिवादी सं0–6 प्रतिभा चौधरी की ओर दिनांक–05.05.2022 को अपने दाखिल कारण पृच्छा के माध्यम से अभिकथन किया गया है कि वादीगण द्वारा दाखिल वादपत्र, साथ–ही–साथ निषेधाज्ञा आवेदन, तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर पोषणीय नहीं है। वादीगण को वादग्रस्त सम्पत्ति के संदर्भ में प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत वाद को दाखिल करने तथा पोषण करने हेतु किसी प्रकार का वाद हेतुक प्राप्त नहीं है, और वादीगण ने बेवजह इस वाद को लाया है। प्रस्तुत वादपत्र परिसीमा के सिद्धांत से तथा वेबर, विबंध और अभित्याग के सिद्धांत से वर्जित है। वादी को प्रतिवादी के विरुद्ध निषेधाज्ञा स्वीकृत करने का प्रथम द्रष्टया वाद प्राप्त नहीं है। वादी किसी भी सूरत में प्रस्तुत वाद में सफल नहीं हो सकता, और इस प्रकार प्रतिवादी के विरुद्ध कोई भी निषेधाज्ञा नहीं स्वीकृत किया जायेगा। वादी द्वारा दाखिल आवेदन को रद्द करने से सुविधा का संतुलन प्रतिवादी के पक्ष में आता है। यदि, निषेधाज्ञा को रद्द किया जाय तो वादी को तो किसी प्रकार की क्षति नहीं होगी, परंतु यदि प्रतिवादी को वादग्रस्त सम्पत्ति पर अपने स्वामित्व एवं दखल–कब्जे के प्रयोग, जिसे वह पूर्व से करता आ रहा है, से रोका या वंचित किया जाय तो उसे अपूर्णणीय क्षति उठानी पड़ेगी। प्रस्तुत किया जाता है कि दोनों पक्षों के साक्ष्यों के आधार पर अंतिम न्याय–निर्णय के बगैर वादी के पक्ष में निषेधाज्ञा स्वीकृत नहीं किया जा सकता, जिससे वादी को प्रतिवादी के विरुद्ध अतिरिक्त लाभ मिल जाय। वास्तविक तथ्य यह है कि प्लॉट सं0–1524 एवं 1525 टिल्लु पासवान का है, जिसने उक्त सम्पत्ति को आमोला कुंअर से रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र, डीड सं0–4644 दिनांक–24.11.1922 के माध्यम से खरीदा था। क्रय करने के पश्चात् वह सम्पूर्ण भूमि के दखल–कब्जे में आये। टिल्लु पासवान अपने एकमात्र पुत्र बसंत पासवान को छोड़कर चल बसे। बसंत पासवान भी अपनी विधवा फुलिया देवी को छोड़कर चल बसे। बसंत पासवान निःसंतान था। उसके मृत्यु के पश्चात् फुलिया देवी का नाम अंचलाधिकारी, पटना के अभिलेख पर दर्ज हुआ और लगान रसीद उसके पक्ष में बना। फुलिया देवी ने दिनांक–09.05.1989 को 1 कट्ठा 10 धुर जमीन लक्ष्मी

रॉय को विक्रय किया तथा दिनांक–24.09.1981 को 2 कट्ठा 10 धुर जमीन ध्रुव प्रसाद को विक्रय किया, प्लॉट सं0–1524 एवं 1525 में। उपरोक्त ध्रुव प्रसाद वर्मा ने अपने 2 कट्ठा 10 धुर जमीन में से 1 कट्ठा 18 धुर 7 धुरकी जमीन बेच दिया और लक्ष्मी रॉय ने अपनी सम्पूर्ण 1 कट्ठा 10 धुर जमीन, दिनांक–23.01.2021 को डिवाइन हॉस्पिटल लिमिटेड को उनके निदेशक डॉ0 अंजय प्रवीण के माध्यम से बेच दिया। तत्पश्चात् डिवाइन हॉस्पिटल उसके पूर्ण स्वामित्व एवं दखल–कब्जे में चला आ रहा है। वादी ने इस सम्पत्ति को उसके वास्तविक मालिक एवं दखलकार पाटलिपुत्रा डिवाइन हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड से रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र, डीड सं0–1377, दिनांक–01.02.10/13.02.18 के माध्यम से खरीदा। क्रय करने के पश्चात्, वादी सम्पत्ति के कब्जे में आयी और उसका नाम भी म्यूटेशन वाद सं0–2104 आर 27/2018–19 के माध्यम से अंचलाधिकारी, पटना के कार्यालय में म्यूटेट हुआ तथा लगान रसीद उसके पक्ष में निर्गत हुआ। यहां यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि एक पुत्र सुरेश पासवान ने म्यूटेशन वाद सं0–362/4 वर्ष 2006–07 के माध्यम से दिनांक–03.11.2008 को अपना नाम म्यूटेट करवा लिया है, जो कि रिविजन केस में दिनांक–01.06.2018 को माननीय ए.डी.एम., पटना द्वारा रिविजनल है और अंचलाधिकारी पटना को निर्देशित किया गया है कि खरीददार ध्रव प्रसाद वर्मा के नाम को म्यूटेट करें, साथ–ही यह भी बताया गया कि सुरेश पासवान का इस भूमि पर कोई अधिकार या स्वामित्व नहीं है। वादी की भूमि इस प्रार्थी के भूमि से काफी दूर अवस्थित है। प्रार्थी का वादी के भूमि से कोई लेना देना नहीं है। वादी के चाहरदिवारी में इस प्रार्थी का नाम नहीं आता है। जवाब से संबंधित आवेदन का पारा–1 एवं 2 अभिलेख का मामला है तथा पारा–3 का कथन सत्य है। वादपत्र के पारा–4 का कथन वादी का स्वकथन है, अतएव प्रतिवादी ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया है। वादपत्र के पारा–5 एवं 6 का कथन झूठा, बेबुनियाद और सत्य से परे है। प्रतिवादी सं0–1 एवं 2 सम्पत्ति के रिकॉर्ड ओनर तथा दखलकार हैं। वे इसे वास्तविक मालिक से खरीदे हैं। इस प्रकार प्रतिवादी सं0–3 से 9 भी सम्पत्ति के पूर्ण मालिक हैं। जवाब से संबंधित आवेदन के पारा–7 की बातें भी आधारहीन एवं काल्पनिक हैं, अतः प्रतिवादी द्वारा इससे इंकार किया जाता है। जवाब से संबंधित आवेदन के पारा–8 का कथन भी झूठा तथा बेबुनियाद है, यह प्रतिवादी अपनी भूमि के दखल–कब्जे में है, जो ईंट के चाहरदिवारी से घिरा हुआ है। इस प्रतिवादी ने इस भूमि को अपने आवासीय बिल्डिंग के निर्माण हेतु खरीदा है। वादी ने यह वाद मास्टर माइंड सुधीर प्रसाद के निर्देश पर दाखिल किया है। उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट होता है कि वादी को यह वाद लाने का या निषेधाज्ञा आवेदन दाखिन करने का कोई मेरिट प्राप्त नहीं है। अतः वादी द्वारा दाखिल निषेधाज्ञा आवेदन को भारी खर्च के साथ रद्द करने की कृपा की जाय।

उभयपक्ष को सुना। अभिलेख के अवलोकन एवं परिशलन से ज्ञात होता है कि प्रस्तुत अधिकार में कुल 9 प्रतिवादीगण हैं। इसमें से कुछ प्रतिवादीगण न्यायालय में उपस्थित नहीं

हैं एवं कुछ प्रतिवादीगण जिसमें प्रतिवादी सं0–4 एवं 6 उपस्थित हैं, और प्रतिवादी सं0–3 एवं 7 से 9 का नाम वादी के द्वारा दिए गए अवेदन के माध्यम से पक्षकार के रूप से नाम विलोपित किया गया है। प्रस्तुत वाद में निषेधाज्ञा आवेदन वादीगण की ओर से दाखिल किया गया है, जिसमें, ये अभिकथन करते हैं कि वादपत्र में अनुसूची–1 से 7 तक में वर्णित वादग्रस्त सम्पत्ति पर पूर्ण स्वामित्व/अधिकार है, जबकि वादपत्र के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वादपत्र में अनुसूची–1 से 5 तक का ही वर्णन किया गया है। साथ–ही यह भी ज्ञात होता है कि न्यायालय द्वारा वादीपक्ष को निषेधाज्ञा आवेदन के सुनवाई के दौरान वादग्रस्त सम्पत्ति के संदर्भ में स्वामित्व से संबंधित मूल दस्तावेज की प्रति की मांग की गई, लेकिन वादीपक्ष द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं प्रार्थी के निषेधाज्ञा आवेदन के माध्यम से यह भी तथ्य स्पष्ट परिलक्षित नहीं होता है कि किन प्रतिवादीगण से वादग्रस्त सम्पत्ति के संदर्भ में यह खतरा है कि प्रतिवादीगण उसका दुर्व्ययन करेगा या उसे नुकसान पहुंचायेगा या अन्य संक्रांत करेगा या उसका सदोष विक्रय करेगा या उसे क्षति पहुंचाने की धमकी देता है। इस प्रकार प्रार्थी अपने आवेदन के किसी भी पारा में इस तथ्य को उजागर नहीं करते हैं कि वादग्रस्त सम्पत्ति की किस अनुसूची को प्रतिवादीगण से खतरा है कि प्रतिवादीगण उसका दुर्व्ययन करेगा या उसे नुकसान पहुंचायेगा या अन्य संक्रांत करेगा या उसका सदोष विक्रय करेगा या उसे क्षति पहुंचाने की धमकी देता है। इस प्रकार सिविल प्रकिया संहिता के अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 एवं 2 के आलोक में प्रार्थी को प्रथम द्रष्टया मामला के सिद्धांत को स्थापित करने के लिए वादी को उक्त तथ्य को अपने आवेदन के माध्यम से सुस्थापित करना होता है। लेकिन, प्रार्थी यह सिद्धांत सुस्थापित करने में असफल रहे हैं कि किस वादग्रस्त भूमि को प्रतिवादीगण से खतरा या संक्रात है, या उसके प्रकृति में परिवर्तन कर रहे हैं। प्रस्तुत वाद में मात्र प्रतिवादी सं0–4 एवं 6 की उपस्थिति है, जिसमें प्रतिवादी सं0–6 ने प्रत्युत्तर के माध्यम से अभिकथन किया है कि मुझे जो सम्पत्ति केवाला से प्राप्त है, वह सम्पत्ति वादग्रस्त के अनुसूची–1 से 5 में किसी में वर्णित नहीं है और न ही उसके चौहद्दी का ही मिलान है। साथ–ही दूसरा सिद्धांत यह है कि निषेधाज्ञा आदेश प्राप्त करने हेतु प्रार्थी को सुविधा का संतुलन के सिद्धांत को भी सुस्थापित करना होता है। जैसा कि प्रार्थी के आवेदन से ऐसा तथ्य परिलक्षित नहीं होता है कि प्रार्थी को निषेधाज्ञा आदेश नहीं देने से उनकी सुविधा का संतुलन बिगड़ता हो, साथ–ही ज्ञात होता है कि प्रस्तुत वाद में अन्य प्रतिवादी सं0–1, 2 एवं 5 की उपस्थिति नहीं हुई है। वादी को निर्देशित किया गया है कि उनके उपस्थिति के लिए सम्यक् रूप से कार्यवाही करें, लेकिन वादी द्वारा पालन नहीं करते हुए निषेधाज्ञा आवेदन पर सुनवाई हेतु बल दिया गया है। निषेधाज्ञा आवेदन के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि दोनों पक्षकारों को ध्यान में रखते हुए यह तथ्य सुस्थापित होना चाहिए कि निषेधाज्ञा आदेश पारित करने या न पारित करने से वादी पक्ष या प्रतिवादी पक्ष को अपूर्णीय क्षति का सामना करना पड़ सकता है।

इस प्रकार यह भी तथ्य ज्ञात होता है कि उक्त तथ्य के संदर्भ में प्रार्थी को सद्भावपूर्वक एवं बोनाफाइड आशय से निषेधाज्ञा आवेदन देना चाहिए, ऐसा न कि निषेधाज्ञा आवेदन दुर्भावना के आशय से दिया जाना चाहिए। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों से ज्ञात होता है कि प्रार्थी उपरोक्त तीनों सिद्धांतों को सुस्थापित करने में असफल रहे हैं तथा यह तथ्य स्थापित करने में भी असफल रहे हैं कि किस प्रतिवादीगण से खतरा है कि प्रतिवादीगण उसका दुर्व्ययन करेगा या उसे नुकसान पहुंचायेगा या अन्य संक्रांत करेगा या उसका सदोष विक्रय करेगा या उसे क्षति पहुंचाने की धमकी देता है। ऐसी परिस्थिति में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रार्थी के निषेधाज्ञा आवेदन को न्यायहित में खारिज किया जाता है। वाद वास्ते दिनांक–03.08.23 को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु।

लेखापित

अवर न्यायाधीश, षष्ठम्
पटना सिटी